प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India
Since 1961

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ


वेबसाइट : https://dicgc.org.in/hindi/
Website: www.dicgc.org.in
ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

31 जुलाई, 2025

**डीआईसीजीसी अधिनियम, की धारा 18 ए के अंतर्गत भुगतान– सोनेपेठ नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सोनेपेठ**

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के अनुसार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) निम्नानुसार निर्दिष्ट बैंक के पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान करेगा। यह भुगतान संबंधित बैंक द्वारा, डीआईसीजीसी द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से, 45 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर अर्थात 13 सितम्बर, 2025 तक दावा सूची प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगा।

| **अनु क्र.** | **बैंक का नाम** | **शहर, राज्य** | **दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तारीख** | **भुगतान की तारीख** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सोनेपेठ नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सोनेपेठ *(समावेशी दिशानिर्देशों की तिथि* 30 जुलाई, 2025) | परभणी, महाराष्ट्र | 13 सितम्बर, 2025 | 28 अक्टूबर, 2025 |

2. उपरोक्त बैंक के जमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने जमा बीमा दावों को बैंक में जमा करें। दावे पहचान के आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़/दस्तावेजों और उनके नाम पर जमा राशि प्राप्त करने की लिखित सहमति (सम्मति घोषणा) द्वारा समर्थित हो। साथ ही अपने वैकल्पिक बैंक खाते का विवरण भी प्रदान करें जिसमें यह राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में अधिकतम 5 लाख रुपए, जमा की जा सके। कृपया ध्यान दें कि प्रस्तुत की गई सम्मति घोषणा बैंक में जमाकर्ता द्वारा रखे गए सभी जमा खातों के लिए लागू होगी।

3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वैध दस्तावेज जमा करने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान उनके द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक बैंक खाते या उनकी सहमति पर, उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा जमा किया जाएगा। यह बैंक द्वारा धारा 18 ए (2) के अनुसार जमाकर्ता सूची प्रस्तुत करने की वैधानिक समय सीमा का पालन किए जाने के अधीन होगा।

4. एआईडी बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए दावा निपटान प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया *https://www.dicgc.org.in/public-awareness* पर जाएं।

**एन. अरुण विष्णु कुमार**
**निदेशक (ई)**

**प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/15**

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India

वेबसाइट : https://dicgc.org.in/hindi/
Website: www.dicgc.org.in
ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

July 31, 2025

**Payment under Section 18 A of DICGC Act – Sonepeth Nagari Sahakari Bank Maryadit, Sonepeth**

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) will be making payments to the eligible depositors of the bank, as specified below, in terms of Section 18A of the DICGC Act, 1961, subject to submission of claim list by the bank concerned, in such form and manner as prescribed by DICGC within statutory timeline of 45 days, i.e., before September 13, 2025.

| Sr. No. | Name of the Bank | City, State | Last date for submission of claim/ willingness | Date of payment by DICGC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonepeth Nagari Sahakari Bank Maryadit, Sonepeth *(AID w.e.f. July 30, 2025)* | Parbhani, Maharashtra | September 13, 2025 | October 28, 2025 |

2. Depositors of the above bank are advised to submit their deposit insurance claims to the bank. The claims should be supported by officially valid document/s of identity and written consent to receive the amount lying in credit of their deposit (willingness declaration), subject to a maximum of Rs.5 lakh in same capacity and in the same right, along with alternate bank account details into which the said amount will be credited. Please note that the willingness submitted shall be construed applicable for all deposit accounts held by a depositor in the bank.

3. Depositors submitting valid documents, as mentioned above, will be paid by credit to the alternate bank account specified by depositors, or on their consent, to their Aadhaar linked bank account, subject to bank abiding by the statutory timelines of depositor list submission in terms of Section 18 A (2).

4. For more information regarding the claim settlement procedure for depositors of AID banks, please visit *https://www.dicgc.org.in/public-awareness*

**N. Arun Vishnu Kumar**
**Director (E)**

**Press Release: 2025-2026/15**